101

II/निग0/रीवा/भू रा0/2018/0635

समक्ष माननीय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर, सर्किट कोर्ट रीवा, म0प्र0

शंकर दयाल शर्मा तनय स्व0 श्री रामनिवास शर्मा, उम्र 70 वर्ष, पेशा पुरोहित एवं कृषि, निवासी ग्राम बदरांव, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0

.... निगराकार/आवेदक

बनाम

1. मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर रीवा, म0प्र0
2. मनोज सिंह उर्फ गुड्डा सिंह तनय श्री अशोक सिंह, उम्र 40 वर्ष, पेशा पार्षद वार्ड नं0 43 एवं प्रापर्टी डीलर, निवासी चिरहुला, वार्ड नं0. 26, तहसील हुजूर, जिला रीवा, म0प्र0

.... गैर निगराकारगण/अनावेदकगण

निगरानी विरुद्ध सीमांकन पुष्टि आदेश राजस्व निरीक्षक रीवा (गिर्द), तहसील हुजूर, जिला रीवा के प्रकरण क. 143/अ–12/2015–16 आदेश दिनांक 27.06.2016 एवं प्रतिवेदन व स्थल पंचनामा दिनांक 08.05.2016

निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 ईस्वीं।

मान्यवर,

<u>निगरानी के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं :–</u>

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ
भाग–अ
प्रकरण कमांक दो–निगरानी / रीवा / भू.रा. / 2018 / 635

स्थान दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषक आदि के हस्ताक्षर
17/7/18	आवेदक के अभिभाषक को निगरानी की प्रचलनशीलता पर सुना गया। आवेदक के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव प्रस्तुत अभिलेख से पि. रलक्षित है कि यह नगरानी राजस्व निरीक्षक रीवा (गिर्द) तहसील हुजूर के प्रकरण कमांक 143 अ–12 / 15–16 में पारित सीमांकन आदेश दिनांक 27–6–2016 के विरूद्व राजस्व मण्डल,म0प्र0 ग्वालियर के सर्किट कोर्ट रीवा में दिनांक 24–1–18 को 01 वर्ष 6 माह वाद प्रस्तुत की गई हैं । 2/ आवेदक के अभिभाषक ने बताया है कि अनावेदक क–2 की भूमि के किये गये सीमांकन में आवेदक की भूमि प्रभावित कर दी गई है सीमांकन आदेश एकपक्षीय है इसलिये निगरानी ग्राह्य की जाकर गुणदोष पर सुनी जावे। 3/ आवेदक के अभिभाषक के तर्को के कम में राजस्व निरीक्षक रीवा (गिर्द) तहसील हुजूर के सीमांकन आदेश दिनांक 27–6–2016 के अवलोकन पर स्थिति यह है कि राजस्व निरीक्षक ने हलका पटवारी चिरहुला एंव पटवारी हलका करहिया के साथ दिनांक 8–5–16 को मौके पर जाकर अनावेदक क–2 के स्वामित्व की भूमि का सीमां. कन कार्य किया है मौके पर पंचनामा तैयार किया है। पटवारी हलका चिरहुला ने दिन. ांक 29–4–16 को समस्त मेढ़िया कास्तकारों को सूचना जारी की है। स्पष्ट है कि राजस्व निरीक्षक व्दारा अनावेदक की भूमि का विधिवत् सीमांकन कराया है। यदि अन. ावेदक क–2 की भूमि के किये गये सीमांकन से आवेदक स्वयं की भूमि प्रभावित होना मानता है तब वह स्वयं की भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा उनसे वरिष्ठ सहा0 अधीक्षक भू अभिलेख, अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है। 3/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी प्रचलनशील न पाये जाने से इसी–स्तर पर अमान्य की जाती है। सदस्य	